न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/26)

रामनिवास पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार।

रेस्पोर्डेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अजय कुमार ओझा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 09.11.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 19.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट रामनिवास ने दिनांक 19.03.2019 को तहसीलदार भादरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक वसीयत के आधार पर प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.09.2019 द्वारा उक्त वसीयत का वाद न्यायालय मे विचाराधीन होने व वसीयत को विवादित मानते हुए वसीयत को खारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं पर बहस कर कहा कि अपीलान्ट ने तहसीलदार भादरा के संमक्ष वसीयत के मुताबिक नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता लिच्छीराम निवासी भादरा

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के चक 5 बी.एच.डी. के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 11,12,13,18 ता 23 की कुल 2.2270 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के पक्ष में उप पंजीयक भादरा के समक्ष तस्दीक करवाई थी जो दिनांक 09.08.2016 को पंजीबद्व है। अपीलान्ट क पिता लिच्छीराम की मृत्यु दिनांक 07.02.2019 को हो चुकी है, इसलिए प्रार्थी के पक्ष में वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज किया जावे तथा वसीयत मे दर्ज भूमि किसी प्रकार से विवादित नही है। अपीलान्ट ने दैनिक समाचार भास्कर में प्रकाशित सार्वजनिक विज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट सं. 1 के समक्ष पेश कि एवं पटवारी हल्का गांधी बडी ने वसीयत से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वसीयत दर्ज गवाहान ने शपथ पत्र पर बयान पेश किये तथा वसीयत बाबत चिरजीलाल ने ऐतराज पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2019 को पटवारी हल्का व गवाहान के बयान को नजर अन्दाज करते हुए वसीयत को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णत गलत विधि विरूद्व एक तरफा आधार पर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर वसीयत को खारिज कर दिया जो कि विधि की अवहेलना मे पारित किया गया निर्णय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे व वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार भादरा को आदेश प्रदान करें। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2011 पृष्ठ 712, RRD 2002 पृष्ठ 12–13, RRT 2012 (1) पृष्ठ 393, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस कर कहा कि अपीलान्ट जिस वसीयत का हवाला देकर उक्त भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है व विवादित है। हमने उक्त वसीयत को अकृत शून्य व अवैध घोषित करवाने के लिए वाद सिविल कोर्ट में पेश किया हुआ है। सिविल कोर्ट में वसीयत की सत्यता की जांच हो जायेगी। इसी विषय वस्तु की अपील सिविल कोर्ट में चल रही है, जब तक सिविल कोर्ट से उक्त वसीयत बाबत निर्णय नही हो जाता तब तक इस अपील की कार्यवाही सिविल कोर्ट के निर्णय तक रोकी जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की ओर से धारा 10 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 31.08.2022 को आदेश पारित कर अपील के अन्तिम निस्तारण का विनिश्चय किया गया। अपीलान्ट ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 19.09.2019 के द्वारा वसीयत को खारिज करने के निर्णय पर आपत्ति जाहिर की है जबकि उक्त निर्णय के पश्चात तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 03.10.2019 को वसीयत खारिज के स्थान पर वसीयत का प्रार्थना पत्र खारिज करने का संशोधित आदेश पारित किया गया है जो कि धारा 152 सी.पी. सी. के अन्तर्गत मूल निर्णय का विस्तार अथवा स्पष्टीकरण है। उक्त प्रकरण में वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भादरा में प्रकरण सं. 5/20 अनुवान चिरजीलाल बनाम रामनिवास नियमित वाद इन्ही पक्षकारो के मध्य विचाराधीन है चूकि नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल Fiscal कार्यवाही है तथा जिस दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जाना है वह दस्तावेज सिविल न्यायालय में प्रश्नगत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार भादरा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09. 2019 एव संशोधित आदेश दिनाक 03.10.2019 मे किसी संशोधन की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर